ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol.-5* Issue-8* October- 2020
Innovation The Research Concept

भारत में समग्र सामाजिक–आर्थिक विकास का एक इंजन नीति आयोग

(National Institution for Transforming)

An Engine of Overall Socio-Economic Development In India NITI Aayog

Paper Submission: 12/10/2020, Date of Acceptance: 23/10/2020, Date of Publication: 24/10/2020

धर्मेन्द्र कुमार खटीक
भूगोलविद्
जनगणना कार्य निदेशालय
राजस्थान गृह मंत्रालय,
भारत सरकार

सारांश

नीति आयोग (NITI) को राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था कहा जाता है। इसका गठन केन्द्रीय मंत्रीमंडल के एक प्रस्ताव से दिनांक 1 जनवरी 2015 को हुआ। नीति आयोग भारत सरकार का नीतियों से संबंधित सर्वोच्च संस्थान है। यह निदेशात्मक ओर नीतिगत इनपुट तथ्य प्रदान करता है। नीति आयोग केन्द्र, राज्य एवं संघ राज्यों क्षेत्रों को तकनीकी सलाह भी प्रदान करता है। भारत संघ के लिए कार्यनीतिक एवं दीर्घकालिक नीतियाँ और कार्यक्रम बनाता है।

NITI Aayog is called the National Transformation Society of India. It was formed on 1 January 2015 by a resolution of the Union Cabinet. NITI Aayog is the supreme organization of policies of the Government of India. It provides directive and policy input facts. NITI Aayog also provides technical advice to the Central, State and Union Territories. Creates strategic and long-term policies and programs for the Union of India.

मुख्य शब्द : नीति आयोग, संघवाद योजना, ज्ञान और नवोन्मेश केन्द्र, साथ कार्यक्रम।

NITI Aayog, Federalism Plan, Center for Knowledge and Innovation, SATH Program.

प्रस्तावना

नीति आयोग भारत सरकार के लिए सर्वोत्कृष्ठ संस्था के रूप में कार्य करता है, जो राज्यों को राष्ट्रीय हित तथा सहयोगी संघवाद की भावना के साथ कार्य करता है। 06 जून 2019 को प्रधानमंत्री महोदय ने इस आयोग के पुनर्गठन की मंजूरी दी है।

अध्ययन का उद्देश्य

भारत के समग्र सामाजिक आर्थिक विकास हेतु नीति आयोग की दिशा का शोध परक अध्ययन करनां

परिकल्पना

NITI Aayog : National institution for Transforming India सामाजिक आर्थिक विकास में विकास को एक नया आयाम देगा।

13 अगस्त 2014 को मोदी सरकार ने योजना आयोग को भंग कर नीति आयोग की स्थापना की।

नीति आयोग की संरचना

1. अध्यक्षः भारत के प्रधानमंत्री होगे।
2. शासकीय परिषद् (Governing Council) : सभी राज्यों के केन्द्रशासित क्षेत्रों के मुख्यमंत्री एवं विधायिकाएँ तथा अन्य संघ शासित प्रदेशों के उप राज्यपाल।
3. क्षेत्रीय परिषदेंः इन परिषदों का गठन एक से अधिक राज्यों या क्षेत्रों से संबंधित विशिष्ट मुद्दों के समाधान के लिए किया जाता है। इनका एक निश्चित कार्यकाल होता है। इसका संयोजन प्रधानमंत्री करते है और राज्यों के मुख्यमंत्री एवं केन्द्रशासित क्षेत्रों के उप राज्यपाल इसमें शामिल रहते है।

4. विशिष्ट आमंत्रित : विशेषज्ञ, सुविज्ञ एवं अभ्यासी, जिनके पास संबंधित क्षेत्र में विशेष ज्ञान एवं योग्यता हो, प्रधानमंत्री द्वारा नामित किये जाते है।
5. पूर्णकालिक सांगठिनक ढाँचा

(क) प्रधानमंत्री अध्यक्ष

(ख) उपाध्यक्ष– प्रधानमंत्री महोदय द्वारा नियुक्ति किये जाते है। इसका दर्जा कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है।

(ग) सदस्य : पूर्णकालिक होते है। राज्यमंत्री के पद के समकक्ष माने जाते है।

6. अंशकालिक सदस्य : अधिकतम दो, जो कि प्रमुख विश्वविद्यालय शोध संगठनों तथा अन्य प्रासंगिक संस्थानों से आते है और पदेन सदस्यों के रूप में कार्य करते है।
7. अंशकालिक सदस्यता चक्रानुमण पर आधारित रहेगी। पदेन सदस्य : प्रधानमंत्री द्वारा नामित केन्द्रीय मंत्री परिषद के अधिकतम चार सदस्य।
8. मुख्य कार्यपालक पदाधिकारीः एक निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा.

नीति आयोग–राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान

(National Institution for Transforming India-NITI)

वर्तमान में 65 वर्ष पुरानी योजना आयोग (Planning Commission) को खत्म करके उसके स्थान पर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफार्मिंग इण्डिया (NITI) आयोग के गठन की घोषणा 1 जनवरी, 2015 को किया गया।

नीति आयोग की मुख्य भूमिका

राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न नीतिगत मुद्दों पर केन्द्र तथा राज्य सरकारों के जरूरी रणनीति तथा तकनीकी परामर्श देने की होगी। आयोग के लिए 13 सूत्री उद्देश्य रखे गये हैं, जो निम्नवत् हैं–

महात्मा गाँधी ने कहा था 'सतत् विकास ही जीवन की वधि है और ऐसा व्यक्ति जो अनुकूल दिखाई पड़ने के लिए अपने धर्म सिद्धान्त को बनाए रखने का प्रयत्न करता है सदैव स्वयं को भ्रामक स्थिति में धकेलता है।

1. नए भारत की इस भावना और परिवर्तित गतिशील शक्तियों को परिलक्षित करते हुए, शासन तथा नीतिगत संस्थाओं को नई चुनौतियों के अनुकूल होना है और भारत के संविधान के निर्माणकारी सिद्धान्तों, हमारे सभ्यात्मक इतिहास तथा वर्तमान में समाजिक–सांस्कृतिक संदर्भ से प्राप्त ज्ञान की संपदा के आधार पर निर्मित होना चाहिए।
2. भारत के लोग अपनी भागीदारी के माध्यम से शासन में प्रगति और सुधार के लिए विशाल प्रत्याशाएँ रखते हैं उन्हें शासन और गत्यात्मक नीति परिवर्तनों में संस्थागत सुधारों की आवश्यकता है जो कि बड़े पैमाने पर परिवर्तन का बीज बो सकते हैं। और उनका पालन पोषण कर सकते है। वास्तव में, उस समयमें जब हमने स्वतंत्रता प्राप्त की थी, हमारे देश का 'भाग्य' अब उच्चतर प्रक्षेप पथ पर है।
3. पिछले कुछ दशकों में हमने भारतीय राष्ट्रीयता का भी सुदृढ़करण होते हुए देखा है। भारत. एक ऐसा विविधता वाला देश है जिसमें भाषाएँ, विश्वास और सांस्कृतिक पारिस्थितिकीय प्रणालियाँ अलग–अलग हैं। इस विविधता ने भारतीय अनुभव की समग्रता को समृद्ध बनाया है। राजनैतिक रूप से भी, भारत ने ऐसे बहुलवाद के एक बड़े अध्युपाय को अंगीकार किया जिसने संघीय मतैक्य को नया रूप दिया है।
4. संघ के राज्य, केन्द्रीय सरकार के मात्र उपांग होना नहीं चाहते हैं। वे आर्थिक प्रगति और विकास की रचना का अवधारणा करने में निर्णायक भूमिका की वांछा करते हैं। प्राय: केन्द्रीय नियोजन में अन्तर्निहित सर्वसम्मत अनुमोदित दृष्टिकोण के अनावश्यक तनावों को उत्पन्न करने और राष्ट्रीय प्रयास के लिए आवश्यक समरसता को क्षीण करने की संभावना होती है।
5. डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने दूर–दृष्टि रखते हुए कहा था कि 'जहाँ केन्द्रीय नियंत्रण और एकरूपता स्पष्ट रूप से आवश्यक नहीं है या अव्यवहार्य है,वहाँ शक्तियों को केन्द्रित करना अयुक्ति युक्त होगा।'
6. 1950 के दशक में गठित–'योजना आयोग' अब इतिहास के पन्नों में चला,गया है।
7. योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था लाने के इरादे की घोषणा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त, 2014 को लाल किले की प्राचीन से. राष्ट्र के नाम अपने सम्बोधन में कही थी।
8. मंत्रिमण्डल के एक प्रस्ताव के तहत यह नई संस्था नीति 1 जनवरी, 2015 से अस्तित्व में आ गई है। इस नई संस्था को 'राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान' नाम दिया गया है तथा आमतौर पर "नीति" आयोग के नाम से इसे जाना जाता है।
9. प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला यह आयोग सरकार के थिंक टैंक (बौद्धिक संस्थान) के रूप में कार्य करेगा तथा केद्र सरकार के साथ–साथ राज्य सरकारों के लिए भी नीति निर्माण करने वाले संस्थान की भूमिका निभाएगा।
10. यह केद्रव राज्य सरकारों को राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व के महत्वपूर्ण मुद्दों पर रणनीतिक व तकनीकी सलाह भी देगा।
11. पंचवर्षीय योजनाओं के भावी स्वरूप आदि के सम्बन्ध में सरकार को सलाह भी देगा।
12. सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों तथा केद्रशासित क्षेत्रों में उपराज्यपालों को नीति आयोग की अधिशासी परिषद् में शामिल किया गया है।
13. इस प्रकार नीति आयोग का स्वरूप योजना आयोग की तुलना में अधिक संघीय बनाया गया है।

नीति आयोग के निम्नलिखित उद्देश्य

1. राष्ट्रीय उदेश्यों को दृष्टिगत रखते हुए राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीति का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना। तब नीति आयोग का दर्शन बल प्रदान करनेके लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय स्तर का ढांचा उपलब्ध कराएगा।

2. सशक्त राज्य ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, इसको स्वीकार करते हुए राज्यों के साथ सतत आधार पर संरचनात्मक सहयोग की पहल और तंत्रों के माध्यम से सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना।
3. ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएँ तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करना और इन सभी को उत्तरोतर रूप से सरकार के उच्च स्तर तक पहुँचाना।
4. जो क्षेत्र विशेष रूप से आयोग को निर्दिष्ट किए गए है उनकी आर्थिक रणनीति और नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को सम्मिलित करने को सुनिश्चित करना।
5. हमारे समाज के उन वर्गों पर विशेष रूप में ध्यान देना जिन तक आर्थिक प्रगति से उच्च प्रकार से लाभांवित ना हो पाने का जोखिम हो।
6. रणनीतिक और दीर्घावधि के लिए नीति तथा कार्यक्रम का ढांचा तैयार करना और पहल करना और पहल करना तथा उनकी प्रगति और क्षमता को मॉनीटर करना। निगरानी और प्रतिक्रिया के आधार पर नवीन सुधार में उपयोग किए जाएंगे जिसके अंतर्गत मध्यावधि संशोधन भी हैं।
7. महत्वपूर्ण पदाधारियों तथा समान विचारधारा वाले राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय थिंक टैंक और साथ ही साथ शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थाओं की बीच परामर्श और भागीदारी को प्रोत्साहन देना।
8. राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, वृतिकों तथा अन्य भागीदारों के सहयोगात्मक समुदाय के माध्यम से जान, नवाचार, उद्यमशीलता सहायक प्रणाली बनाना।
9. विकास के एजेंडे के कार्यन्वयन में तेजी लाने के क्रम में अंतर–क्षेत्रीय और अन्तर–विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए एक मंच प्रदान करना।
10. अत्याधुनिक संसाधन केन्द्र बनाना जो सुशासन तथा सतत और न्यायसंगत विकास की सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणाली पर अनुसंधान करने के साथ–साथ पणधारियों तक पहुँचाने में भी मदद करें।
11. आवश्यक संसाधनों की पहचान करने सहित कार्यक्रमों और उपायों के कार्यान्वयन का सक्रिय मूल्यांकन और सक्रिय निगरानी करना, ताकि सेवाएँ प्रदान करने में सफलता की संभावनाओं को प्रबल बनाया जा सके। कार्यक्रमों और नीतियों के क्रियान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर जोर।
12. राष्ट्रीय विकास एजेंडा और उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अन्य आवश्यक गतिविधियों का उत्तरदायित्व लेना।

नोट

नवगठित नीति आयोग ही अब 12वीं पंचवर्षीय योजना की मध्यावधि समीक्षा करेगा। पंचवर्षीय योजनाओं की प्रणाली जारी रखने या नहीं रखने के सम्बन्ध में अपनी सिफारिशें भी यह सरकार को शीघ्र ही प्रस्तुत करेगा। पूर्ववर्ती योजना आयोग की सभी परिसम्पतियों व देनदारियां आदि नए नीति आयोग के नाम सरकार ने कर दी है।

नीति आयोग की संरचना (गठन) एक नजर में

अध्यक्ष–भारत के प्रधानमंत्री (पदेन अध्यक्ष)

उपाध्यक्ष– प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त

पूर्णकालिक सदस्य – पूर्णकालिक सदस्य प्रधानमंत्री के अलावा होंगे।

अंशकालीन सदस्य – अग्रणी विश्वविद्यालय, शोध संस्थानों एवं अन्य सुसंगत संस्थानों से अधिकतम दो पदेन सदस्य।

पदेन सदस्य – केन्द्रीय मंत्रीपरिषद से अधिकतम चार सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित हेांगे।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी – भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी को निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जायेगा।

अधिशासी परिषद के अन्य सदस्य– सभी राज्यो के मुख्यमंत्री तथा केन्द्रशासित क्षेत्रों के उपराज्यपाल शामिल होगे।

विशिष्ट मुद्दों और ऐसे आकस्मिक मामले, जिनके संबंध एक से अधिक राज्य या क्षेत्र से हो, को देखने के लिए क्षेत्रीय परिषदें गठित की जायेंगी। ये परिषदे कार्यकाल के लिए बनायी जायेंगी। भारत के प्रधानमंत्री के निर्देश पर क्षेत्रीय परिषदों की बैठकें होगी और इनमें संबंधित क्षेत्र के राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल शामिल होंगे। इनकी अध्यक्षता नीति आयोग के अध्यक्ष या उनके नाम निर्देशित करेंगे। विशेष आमंत्रित–संबंधित कार्यक्षेत्र की जानकारी रखनें वाले विशेषज्ञ और कार्यरत व्यक्ति, विशेष आमंत्रित के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा नामित होंगे।

वर्तमान (जनवरी 2017 से) नीति आयोग के सदम्य एक नजर में :–

अध्यक्ष– नरेन्द्र मोदी (प्रधानमंत्रों

उपाध्यक्ष– अरविंद पनगड़िया (प्रथम)

वर्तमान– डॉ. राजीव कुमार

पूर्णकालिक सदस्य – श्री विवेक देवरॉय

श्री वी. के. सारस्वत, श्री रमेश चन्द्र

पदेन सदस्य – श्री राजनाथ सिंह (गृह मंत्रीं) श्री सीता रवण (वित्त मंत्रीं, कार्पोरेट मामलों के मंत्री) श्री सुरेश प्रभु (रेल मंत्री), श्री राधा मोहन सिंह (कृषि मंत्री)

विशेष आमंत्रित– श्री नीतिन गडकरी (सड़क परिवहनऔर राजमार्ग मंत्री और जहाजरानी मंत्री)

श्री थावरचंद गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी (कपडा मंत्री)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO)–श्री सिंघुश्री खुल्लर

योजना आयोग और नीति आयोग में अन्तर– इसआयोग में रान्य के मुख्यमंत्रियों तथा निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों को अधिक अहम भूमिका दो गईं हैं। जो संघीय ढांचे का मजबूत करेगी, जबकि योजना आयोग में केद्रीयता को महत्व दिया गया था।

नीति आयोग

1. इस आयोग की मुख्य भूमिका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न नीतिगत मुद्दों पर केन्द्र और राज्य सरकारों को जरूरी रणनीतिक व तकनीकी परामर्श देना होगा।

2. नीति आयोग मोदी सरकार के टीम इण्डिया और सहकारी संघवाद की विवेचना करेगा।
3. नीति आयोग के द्वारा देशभर के शोध से संस्थानों और विश्वविद्यालयों से व्यापक स्तर पर परामर्शग्रहण किये जाएगें।

अटल नवोन्मेश मिशन

उद्देश्य देश भर में (स्कूल, विश्वविद्यालयों, अनुसधान संस्थानों, एमएसएमई और उद्योग स्तरों पर) नवाचार और उद्यमशीलता आधारित परिवेश का सृजन करना और बढ़ावा देना। इनकी परिकल्पना एक अम्ब्रेला नवाचार संगठन के रूप में की गई है, जो केन्द्र राज्य और क्षेत्रकीय नवाचार योजनाओं के मध्य नवाचार नीतियों के संरक्षण (lignment) में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

प्रमुख विशेषताएं

इसके दो प्रमुख कार्य है–

स्व–रोजगार और प्रतिभा उपयोग (Self Employment and Talent Utilization SETU) योजना के माध्यम से उद्यमशीलता को प्रोत्साहन, जिसमें इनोवेटर (Innovatiors) को सफल उद्यमी बनने हेतु समर्थन एवं परामर्श प्रदान किया जाएगा।

नवाचार को प्रोत्साहनः नवाचारी विचारों के सृजन के लिए मंच उपलब्ध करवाना।

समग्र रूपरेखा में निम्नलिखित शामिल है–

अटल टिंकरिंग लैब (ATL) यहां छठी से बारहवीं कक्षा तक के छात्र नवाचार कौशलों को सीखते हैं तथा विचारों का विकास करते हैं।

अटल टिंकरिंग मैराथनः यह मैराथन भारत के सर्वश्रेष्ठ छात्र नवोन्मेषकों की खोज करने हेतु 6 विषयगत क्षेत्रों जैसे स्वच्छ ऊर्जा, जल संसाधन, अपशिष्ट प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवा, स्मार्ट मोबिलिटी और कृषि तकनीक में देश व्यापी चुनौती प्रस्तुत करता है।

अटल इन्क्यूबेशन सेन्टर (AICs) एंड अटल कप्यूनिटी इनोवेशन सेन्टर (ACIC) इन्हें विश्वविद्यालयों तथा उधोगों में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने हेतु विश्वविद्यालय, गैर–सरकारी संगठन, लघु एवं मध्यम उद्यम (SME) तथा कार्पोरेट उद्योग स्तरों पर स्थापित किया लाएगा।

अटल न्यू इंडिया चैलेंज और अटल ग्रैंड चैलेंज : सामाजिक एवं वाणिज्यिक प्रभाव हेतु प्रोद्योगिकी चालित नवाचारों तथा उत्पादन सृजन को प्रोत्साहन।

'मेंटर इंडिया' अभियान : यह देश के अग्रणी लोगों (जो छात्रों का मार्गदर्शन और उन्हें परामर्श प्रदान कर सकते हैं) को शामिल करने हेतु एक रणनीतिक राष्ट्र निर्माण पहल है। उद्योग, शैक्षणिक समुदाय, सरकार और वैश्विक सहयोग की सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

हाल ही में, अटल इनोवेशन मिशन के तहत AIM की अटल टिंकरिंग लैब (ATL) की समग्र क्षमता का लाभ उठाने के लिए नीति आयोग ने भारतीय विद्यालयों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AL) मॉड्यूल को स्थापित करने की दिशा में नैसकॉम (NASSCOM) के साथ साझेदारी की है। छात्रों को AI की विभिन्न अवधारणाओं के माध्यम से कार्य करने और सीखने में सक्षम बनाने हेतु इस मॉडयूल में विभिन्न गतिविधियों, वीड़ियो और प्रयोगों को शामिल किया गया है।

मानवपूंजी के रूपांतरण के लिए स्थायी (साथ) कार्यक्रम

उद्देश्य

1. शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र के का कायाकल्प करता।

2, इसका लक्ष्य भविष्य के 'रोल मॉडल' राज्यों का चयन और निर्माण करना है।

स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए नीति आयोग ने उतर प्रदेश, असम और कर्नाटक का जबकि शिक्षा क्षेत्र हेतु मध्य प्रदेश, झारखण्ड तथा ओडिशा का चयन किया है।

इसे नीति आयोग और भागीदार राज्यों के मध्य एक लागत साझाकरण तंत्र के माध्यम से वित्तपोषित किया जाएगा।

नीति आयोग द्वारा SATH-शिक्षा रोडमैप– 2018–2020 : इसके तहत 3 राज्यों, नीति आयोग और शैक्षणिक भागीदारों (बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप और पिरामल फाउंडेशन फांडडेशन फॉर एजुकेशन लीडरशिप) के मध्य एक त्रिपक्षीय समझौता किया गया है।

आकांक्षी जिला कार्यक्रम

उद्देश्य

देश के कुछ अत्यंत अल्पविकसित जिलों का तीव्र और प्रभावी रूप मे कायाकल्प।

प्रमुख विशेषताएं

यह 28 राज्यों के ऐसे 117 जिलों के कार्याकल्प पर ध्यान केन्द्रित करता है, जिनमें निश्चित विकास मापदंडों के अनुरूप कम प्रगति हुई है।

कार्यक्रम की व्यापक रूपरेखा में शामिल है– समेकन (Convergence) केन्द्र और राज्य योजनाओं का) का सहयोग (Collaboration) केन्द्र और राज्य स्तर के प्रभारी अधिकारियों और जिलाधीश का) तथा जिलों के मध्य प्रतिस्पर्द्धा।

पांच मुख्य आयामों में से 49 संकेतक चयनित किए गए हैः स्वास्थ्य एवं पोषण 30 प्रतिशत, वित्तीय समावेशन 20 प्रतिशत, कृषि और जल संसाधन 20 प्रतिशत, कौशल विकास तथा आधारभूत अवसंरचना 10 प्रतिशत। जिलों में रियल –टाइम प्रगति की निगरानी हेतु डैशबोर्ड

सहकारी संघवाद : जिलों का विकास करने हेतु उपायों की अभिकल्पना, क्रियान्वयन तथा निगरानी के लिए केद्र, राज्य तथा स्थानीय प्रशासन एक साथ कार्य करेंगे।

निष्कर्ष एवं सुझाव

भारत सरकार द्वारा संघवाद को मजबूत करने हेतु योजना आयेाग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की। इससे सम्पूर्ण भारत के सभी क्षेत्र शिक्षा, आवास, पेयजल, आधारभूत संरचना इत्यादि सभी क्षेत्रों में समग्र एवं सतत–विकास की दिशा में कार्य कर रहे है। यह ज्ञान रूपी समाज तथा वैश्विक विकास की गति के इंजन में एक सर्वोत्तम प्रयास हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. Indian Economy (2019) : Dutt & Sundram
2. वेद प्रकाश कौशिक मोदी की विदेश नीति, 2017 डायमण्ड पॉकेट बुक प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली।
3. www.Planning Commision
4. www. Niti. Org. in
5. Yogna 2015
6. The Hindu
7. www. Social development Indicator in india.